



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad
(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

पत्रांक: गु0ज0वि0वि0मु0/प0नि0/2026/1133

दिनांक: 09.06.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय-गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,
मुरादाबाद।

विषयरू- सत्र 2025-26 की द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सत्र 2025-26 की द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता है:-

1. सभी संकायों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी द्वितीय सेमेस्टर (सत्र-2025-26) की बाह्य प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाएं समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपन्न कराएँगे। परीक्षकों की नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. प्रत्येक संकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाएं दिनांक 30.06.2026 तक पूर्ण कर ली जाएँ। निर्धारित तिथि के पश्चात अंकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
3. समर्थ पोर्टल पर अंको को अपलोड करते समय विशेष सावधानी रखें। एक बार अपलोड होने के पश्चात किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
4. समर्थ पोर्टल से डाउनलोड की गई अंकपत्रक की हार्ड कॉपी (दो प्रतियाँ) पर दोनों परीक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इन हस्ताक्षरित प्रतियों को कॉलेज के प्राचार्य द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. सभी प्रकार की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें चुनौती मूल्यांकन से आच्छादित हैं। अतः प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें सुरक्षित रखी जाएँ और विश्वविद्यालय द्वारा माँगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराई जाएँ।
6. प्रयोगात्मक परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सीलबंद पैकेट विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से माँगे जा सकते हैं।
7. परीक्षकों को नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।

नोट:- 1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों की द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2025-26 की बाह्य प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाओं के अंक समर्थ पोर्टल पर ही अपलोड किए जाएँगे।

2. प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं।

भण्डीय

9/6/26
(अमृत लाल)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
3. वित्त अधिकारी, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
6. गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक

Instructions for Examiners Regarding Practical or Viva Voce Examinations:

1. The practical examination or viva voce must be conducted strictly in the presence of both internal and external examiners.
2. In cases where the number of students in a class is large, the examiners shall conduct the examination in batches. The maximum number of students permitted in a single batch is 120.
3. After evaluation, the marks must be uploaded on the **SAMARTH** portal using the Principal's login, in the presence of both examiners, on the same day of the examination.
4. Upon completion of the practical examination or viva voce, the external examiner is required to submit a **confidential report** through the Google link provided in your appointment information. You are requested to click the link before visiting the college to review the information required to complete the report.
5. For practical examination or viva voce, the examiners will be informed through email. Therefore, they are advised to check their email inbox regularly to stay updated.
6. In case of refusal of examinership by any examiners, the examiner must provide the information within 24 hours of appointment through google form link provided in your appointment information.

प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा संपन्न कराने हेतु परीक्षकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:

1. प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा का आयोजन आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में ही किया जाना है।
2. यदि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो, तो परीक्षक परीक्षा को बैच-वार आयोजित करेंगे तथा एक बैच में अधिकतम 120 छात्रों को ही परीक्षा हेतु अनुमति दी जाएगी।
3. परीक्षा संपन्न होने पर मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त अंको को दोनों परीक्षकों की उपस्थिति में कॉलेज प्राचार्य के लॉगिन से **SAMARTH** पोर्टल पर परीक्षा के दिन ही अपलोड किया जाना होगा।
4. प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, बाह्य परीक्षक को एक **गोपनीय रिपोर्ट** उनके ईमेल पर प्राप्त गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी। परीक्षक कॉलेज में परीक्षा के दिन परीक्षक के रूप में जाने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक करके भरी जाने वाली आवश्यक जानकारी देख लें, ताकि रिपोर्ट भरने में उन्हें कोई कठिनाई न हो।
5. परीक्षकों को प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा संबंधी आधिकारिक सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अतः उन्हें नियमित रूप से अपना ईमेल इनबॉक्स देखते रहने की सलाह दी जाती है ताकि वे इस सम्बन्ध में अद्यतन रहें।
6. यदि कोई परीक्षक किसी कारण वश परीक्षक पद को अस्वीकार करता है, तो उस परीक्षक को अपनी अस्वीकृति नियुक्ति के 24 घंटों के भीतर उनके ईमेल पर प्राप्त गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।

Instructions for Colleges Regarding Practical or Viva Voce Examinations:

1. Colleges must inform the university about the date and time of commencement of practical/viva voce examination (after obtaining the consent of the examiners) at least **ONE DAY** prior to the date of examination through the google link- <https://forms.gle/y9rK6n9L8bsMDjKAA>
Failure to comply will affect the validity of the examination.
2. In cases where the number of students in a class is large, colleges must divide the total number of students into batches, with a maximum of 120 students per batch.
3. The practical examinations must be conducted strictly in the presence of both internal and external examiners appointed by the university.
4. After evaluation, marks must be uploaded on the **SAMARTH** portal through the Principal's login, in the presence of both examiners, on the day of the examination.
5. The hard copies of the submitted award sheets (two copies), downloaded from the **SAMARTH** portal, must be signed by both examiners. These signed copies shall be retained by the College Principal in a sealed envelope and produced to the University if required.

6. In Government and Government-aided colleges the internal examiners shall be appointed by the Principal in the relevant subject on the basis of seniority, eligibility and rotation. If an eligible faculty member is not available in a subject, Principal must request the University to appoint an internal examiner through email gjumpracticalexams@gmail.com.
7. The minimum teaching experience required for appointment as an examiner is 03 years for both Undergraduate (UG) and Postgraduate (PG) courses.
8. Regarding the appointment of examiners, the college will be informed through official email. Therefore, the college principals are advised to check their official email inbox regularly to stay updated.
9. In case of denial/refusal of examinership by any examiners, the college must email to gjumpracticalexams@gmail.com with the necessary information like the name of the college, college code, subject name and code, name of the examiner who refused to conduct the practical examination or viva voce.

प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा हेतु कॉलेज के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:

1. सभी महाविद्यालयों को परीक्षकों की सहमति के पश्चात् प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना कम-से-कम एक दिन पूर्व गूगल फॉर्म लिंक <https://forms.gle/y9rK6n9L8bsMDjKAA> के माध्यम से विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करनी होगी। इसका अनुपालन न करने की दशा में परीक्षा वैध नहीं होगी।
2. यदि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो महाविद्यालयों को कुल छात्रों की संख्या को बैच-वार विभाजित करना होगा तथा प्रत्येक बैच में अधिकतम 120 छात्रों को ही अनुमति दी जाएगी।
3. प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा का आयोजन प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में ही किया जाना है।
4. परीक्षा संपन्न होने पर मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त अंको को दोनों परीक्षकों की उपस्थिति में कॉलेज प्राचार्य के लॉगिन से **SAMARTH** पोर्टल पर परीक्षा के दिन ही अपलोड किया जाना होगा।
5. **SAMARTH** पोर्टल से डाउनलोड की गई अंक-पत्रक (Award Sheets) की दो हार्ड कॉपीदोनों परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित करानी होगी। इन हस्ताक्षरित प्रतियों को महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
6. राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता, पात्रता और चक्रक्रमानुसार की जाएगी। यदि किसी विषय में पात्र संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो महाविद्यालय प्राचार्य को विश्वविद्यालय से आंतरिक परीक्षक नियुक्त करने का अनुरोध ईमेल gjumpracticalexams@gmail.com के माध्यम से करना होगा।
7. परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 03 वर्ष होना आवश्यक है।
8. परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अतः महाविद्यालय प्राचार्यों को नियमित रूप से अपने आधिकारिक ईमेल का इनबॉक्स जांचने की सलाह दी जाती है ताकि वे अद्यतन रहें।
9. यदि कोई परीक्षक किसी कारणवश परीक्षक पद को अस्वीकार करता है, तो महाविद्यालय को इसकी सूचनानिम्न सूचनाओं सहित विश्वविद्यालय को ईमेल gjumpracticalexams@gmail.com के माध्यम से भेजना होगा:
 - महाविद्यालय का कोड एवं नाम
 - विषय का नाम एवं कोड
 - परीक्षक का नाम

तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विषय में अन्य परीक्षक को नियुक्त कर सूचित कर दिया जायेगा।

